संशोधित डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**

व इजलास **श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)**

1. ल्हौरी उम्र 80 साल पत्नी सूबे जाति गूजर निवासी ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी

बनाम

1. अतरे } पुत्रगण सूबे जातिगण गूजर निवासीगण
2. गोपाल } ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी
3. विध्यादेवी पत्नी निरंजन
4. बृजेश } पुत्रगण
5. जीतेन्द्र } निरंजन } जातिगण गूजर निवासी ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी
6. सुखसैनवती } पुत्रीगण
7. राजकुमारी } निरंजन
8. प्रबन्धक पी0एन0बी0 शाखा बाडी
9. तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

दावा दावत

मुकदमा नं. **10/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

व हाजरी **श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0** मिनजानिब मुद्दई **श्री रामअवतार कंसाना एड0**

मिनजानिब मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीया डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 94/9–19, 144/5–13, 347/1–18, 362/774/2–00 कुल किता 4 कुल रकवा 19 बीघा 10 विस्व बांके ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी में वादीया को निरोती के स्थान पर 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार वादीया के नाम का अंकन किया जावे।

नीज ..... मुबलिग..... बाबत .....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **23** माह **04** साल **2018** को जारी की गई।

दस्तखत .....

ओहदा **उपखण्ड अधिकारी बाडी**

मुहर

उपखण्ड अधिकारी बाडी (धौलपुर) राज0

मुददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनतनामा वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)**

उनवान

ल्हौरी **बनाम** अतरे

1. ल्हौरी उम्र 80 साल पत्नी सूबे जाति गूजर निवासी ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी

वादीया :–

बनाम

1. अतरे } पुत्रगण सूबे जातिगण गूजर निवासीगण
2. गोपाल } ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी
3. विध्यादेवी पत्नी निरंजन
4. बृजेश } पुत्रगण
5. जीतेन्द्र } निरंजन } जातिगण गूजर निवासी ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी
6. सुखसैनवती } पुत्रीगण
7. राजकुमारी } निरंजन
8. प्रबन्धक पी0एन0बी0 शाखा बाडी
9. तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीया के वकील – श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री रामअवतार कंसाना एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0 अधि0

दावा सं. 10/2018

दिनांक :– 23.04.2018

निर्णय

वादीया द्वारा उक्त उनवान का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 94/9–19, 144/5–13, 347/1–18, 362/774/2–00 कुल किता 4 कुल रकवा 19 बीघा 10 विस्व बांके ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी में स्थित है। इस प्रकरण में विवा केवल निरोती पुत्र सूबे के 1/4 हिस्से का है। विवादित आराजी में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार निरोती पुत्र सूबे था। निरोती की शादी नहीं हुई थी। ना निरोती की अपनी कोइ संतान थी। निरोती अपनी माँ वादीया के साथ ही रहता था। वादीया के पुत्र निरोती की मृत्यु दिनांक 14.04.2010 को बिला बीबी व बिला औलाद के हो गई। निरोती के मरने के बाद निरोती का 1/4 हिस्सा मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीया को विरासतन प्राप्त हुआ और वादीया निरोती के मरने के बाद विवादित आराजी के 1/4 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। वादीया विवादित आराजी में प्राप्त अपने 1/4 हिस्से से अपना गुजारा करती है। इसके अलावा वादीया के पास जीवन निर्वहन का अन्य कोई साधन नहीं है। दिनांक 25.02.2018 को जब वादीया विवादित आराजी में अपने हिस्से की देखभाल कर

रही थी कि तभी प्रति0 वादीया के पास आये और वादीया को धमकी दी कि हम तुझे विवादित आराजी में काश्त नहीं करने देंगे। तुझे विवादित आराजी से बेदखल करके छोडेंगे। निरोती की विरासत का दाखिला खारिज अपने नाम करायेंगे। जब वादीया ने राजस्व रिकार्ड की नकलें ली तो पता चला कि पटवारी हल्का ने निरोती के मरने के बाद विवादित आराजी का दाखिला खारिज निरोती के स्थान पर वादीया का नाम दर्ज नहीं किया है। जब वादीया ने पटवारी हल्का से अपने नाम का दाखिला खारिज खोलने की कहा तो पटवारी हल्का ने अकेले वादीया के नाम दाखिला खारिज खोलने से मना कर दिया। उपरोक्त हालातों में वादीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह दावा दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करावें तथा प्रति0 को पावन्द करावे।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

यह घोषित किया जावे कि वादीया विवादित आराजी में निरोती के 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 ने उपस्थित न्यायालय आकर पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा को प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वादीया का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादीया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex 1 नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 प्रस्तुत की तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में Pw 1 ल्हौरी, Pw 2 रामन, Pw 3 नीरज के बयान कराये।

तत्पश्चात उभयपक्ष को सुना गया। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलेकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत Ex 1 नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 में निरोती पुत्र सूबे 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार अंकित है। प्रस्तुत राजीनामा में प्रति0 द्वारा वादीया का 1/4 हिस्सा निरोती के स्थान पर स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रस्तुत राजीनामे में प्रति0 की स्वीकारोति तथा जमाबन्दी अंकित हिस्से के अनुसार वादीया अपने आपको प्रश्नगत आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी पाई जाती है। पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया डिकी किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 94/9–19, 144/5–13, 347/1–18, 362/774/2–00 कुल किता 4 कुल रकवा 19 बीघा 10 विस्व बांके ग्राम बैनपुरा खालसा तह0 बाडी में वादीया को निरोती के स्थान पर 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार वादीया के नाम का अंकन किया जावे। निर्णय के अनुसार डिकी जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज0